राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2654/2025

धर्म सिंह मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सवाई माधोपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.04.2025
आदेश की दिनांक : 02.05.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री श्रीभान गुर्जर, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 13.04.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सवाई माधोपुर जिले के ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 22.04.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि सवाई माधोपुर में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जावे, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया गया। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी जब स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, नादोती, जिला करौली में कार्यरत था। उसे दिनांक 22.04.2021 को निलंबित किया गया और तदुपरांत उसे निलंबन काल में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर रखा गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी का मुख्यालय

परिवर्तित कर सवाई माधोपुर किया गया। आदेश दिनांक 25.03.2025 को अपीलार्थी को बहाल किया गया। उनका तर्क है कि सवाई माधोपुर ब्लॉक में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय के कई पद रिक्त हैं, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में उसके अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया, जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को जिला सवाई माधोपुर के ब्लॉक में किसी एक रिक्त पद पर आदेश दिनांक 13.04.2025 की पालना में पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष